

Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd. Udyog-Bhawan, Tilak-Marg, Jaipur-302005

No: IPI/P.5/Policy/326/2024

Dated: 17.07.2025

727

ORDER (34/2025)

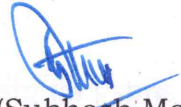
Sub: Partial modification in Rule 3(AJ) of RIICO Disposal of Land Rules, 1979 related to Direct Allotment Policy-2025.

The Board of Directors (BoD) of the Corporation vide item (15) in the meeting held on 10.07.2025 has accorded approval for partial modification in Rule 3(AJ) of RIICO Disposal of Land Rules, 1979 related to Direct Allotment Policy-2025 as under:

नियम	वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधित नियम
3	आवंटन की प्रक्रिया: ऐसे एमओयू निष्पादनकर्ताओं जिन्हें औद्योगिक भूखण्ड का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, उनके द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में अपना आवेदन मय प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने होंगे।	आवंटन की प्रक्रिया: ऐसे एमओयू निष्पादनकर्ताओं जिन्हें औद्योगिक/लाजिस्टिक्स भूखण्ड का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, उनके द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में अपना आवेदन मय प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने होंगे।
(ii)	50,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक/विशेष औद्योगिक क्षेत्रों/पार्क में आवंटन की प्रक्रिया- आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक की पात्रता, भूमि की आवश्यकता आदि की संवीक्षा रीको की मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी तथा निगम प्रबन्धन के सैद्धान्तिक अनुमोदन के उपरान्त, प्रकरण को निगम के निदेशक मण्डल द्वारा गठित आधारभूत संरचना विकास समिति के समक्ष रखा जाकर निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जावेगा।	50,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक अथवा विशेष औद्योगिक क्षेत्रों/पार्क में भूखण्ड/भूमि आवंटन की प्रक्रिया- आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक की पात्रता, भूमि की आवश्यकता आदि की संवीक्षा रीको की मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी तथा निगम प्रबन्धन के सैद्धान्तिक अनुमोदन के उपरान्त 50,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक के प्रकरण को निगम के निदेशक मण्डल द्वारा गठित आधारभूत संरचना विकास समिति के समक्ष रखा जाकर निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जावेगा। विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों के लिए इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर मुख्यालय स्तर पर गठित समिति की संवीक्षा के पश्चात गुणावगुण के आधार पर भूखण्ड का आवंटन प्रबन्ध निदेशक की अनुमति से किया जावेगा।

Modalities for direct allotment of industrial plots (including reserved plots) in identified industrial areas on reserve rate of plot in reference to Rising Rajasthan-Global Investment Summit-2024 are as under:	Modalities for direct allotment of industrial plots and Logistics (including reserved plots) in identified industrial areas on reserve rate of plot in reference to Rising Rajasthan-Global Investment Summit-2024 are as under:
---	---

All other modalities shall remain same as per earlier Order (2/2025) dated 14.03.2025, except the point no. 9(v) which shall be read as per amended Rule 3(AJ) vide this order.


 (Subhash Maharia)
Advisor (Infra)

Copy to:

1. units@riico.co.in
2. staff@riico.co.in